


## फैक्ट सीट

1	परियोजना का नाम :-	राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासु-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग का नव निर्माण ।
2	प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेन में) :-	1.680 है0
	आरक्षित वन भूमि :-	0.210 है0
	सेविल वन भूमि :-	1.05 है0
	नन पचायत भूमि :-	2.590 है0
	निजी भूमि :-	0.150 है0
	मक डिरपोजल :-	5.680 है0
	योग :-	
3	प्रस्तावक विभाग का नाम :-	अरथाई खण्ड लो0निठिंग गौचर
4	वन प्रभाग का नाम :-	बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
5	प्रस्ताव बांडिंग किया गया है :-	है
6	प्रस्ताव में विष्य सूची भरी गई है :-	है
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग - 1,2 व 3 के सभी विन्दुओं की सूचना भरी गई है :-	है
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों का दिठ व रथान भरा गया है	है
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है :-	है
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है	है
11	वांज प्राजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बंधित वन रांक्षक का रथलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है :-	मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि जिससे कम से कम वृक्षों का पारान हो।
13	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वार्षिक अप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है :-	है
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुरार वर्षायाली का घनत्व राही है :-	है
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय रथल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है।	है
16	क्या मानवित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण रथल को दर्शाया गया है :-	है
17	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आस-पास सिरक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है :-	है
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है :-	नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है :- यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है :-	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है	है


21	प्रस्तावत माग नया प्रस्तावत ह अथवा पूर्व नामत माग से आग निर्माण किया जाना है :— (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें )	मार्ग नया प्रस्तावित है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है :—	हां
23	यदि सङ्क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :—	हां
24	क्या प्रस्तवित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है :—	नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोशी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवही का संलग्न किया जाए ।	काई उल्लंघन नहीं हुआ है।
26	सङ्क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाए गए है :—	हां
27	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाए) ।	1:50,000 के मानचित्र में लिखा गया है।
28	लागत लाभ विषलशण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (पांच है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):—	नहीं
29	मनचित्र व चार्ट में एकरूपता है :—	हां
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :— अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है :—	हां
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावना संलग्न है :—	हां
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं, तो क्या वे सत्यापित हैं :—	हां
33	यदि वनभूमि लीज पर ली जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें :—	नहीं
34	वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है :—	हां
35	क्या प्रस्तावों में सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :—	हां
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं :—	हां

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई है।

हस्ताक्षर

  
सहायक अभियंता,  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

हस्ताक्षर

  
अधिशासी अभियंता,  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी  
ब्रदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर